


21.5.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत डण्डाली में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 03.4.2018 को करवाई गई थी। एवं लोक अदालत नोटिस जारी होने के उपरांत भी विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(लोक अदालत केंद्र-अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.डण्डाली)  
पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुम ताहिर समा, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.17/2018


प्रार्थीगण  
1. गिखारीराम पुत्र शेराराम  
2. देदाराम पुत्र शेराराम  
3. आदूराम पुत्र शेराराम  
4. हतुदेवी पत्नि शेराराम  
जातियान जाट  
निवासीयान ऐवाडी मानजी  
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नूर मोहम्मद पुत्र हाजी तामची खां  
जाति मुसलमान
2. अचलाराम पुत्र हरखाराम
3. केहनाराम पुत्र हरखाराम
4. नोजीदेवी पत्नि हरखाराम जाति जाट
5. शंकरराम पुत्र मूलाराम जाति गर्ग
6. सतीराम पुत्र हीराराम
7. मालाराम पुत्र हीराराम
8. डाऊराम पुत्र हीराराम
9. सवाराम पुत्र नरसिंगाराम
10. जगदीश पुत्र नरसिंगाराम
11. धन्नाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति गर्ग
12. रामाराम पुत्र रावताराम जाति मेगवाल
13. रूपों देवी पत्नि दीपाराम जाति जाट  
निवासी ऐवाडी मानजी तहसील सिणधरी  
जिला बाड़मेर



  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-


- 1 श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

आदेश

दिनांक-21.5.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम ऐवाडी मानजी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 82 रकबा 70-07 बीघा व खसरा संख्या 165/82 रकबा 34-00 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम ऐवाडी मानजी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 82 रकबा 70-07 बीघा व खसरा संख्या 165/82 रकबा 34-00 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 034.18 को करवाई गई थी। एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम ऐवाडी मानजी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 82 रकबा 70-07 बीघा व खसरा संख्या 165/82 रकबा 34-00 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम ऐवाडी मानजी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 82 रकबा 70-07 बीघा व खसरा संख्या 165/82 रकबा 34-00 बीघा भूमि की पक्की


नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व कार्ड, सलंगन दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया ग्राम ऐवाडी मानजी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 82 रकबा 70-07 बीघा


  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

व खसरा संख्या 165/82 रकबा 34-00 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है, जो पत्रावली के सलंगन विवादित भूमि संवत् 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काशत की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है, कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐवाडी मानजी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 82 रकबा 70-07 बीघा व खसरा संख्या 165/82 रकबा 34-00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

  
(अंजुम ताहिर समा)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

  
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी



आदेश आज दिनांक 21-5-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।